सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 4, शुक्रवार, *शाके* 1941–जनवरी 24, 2020
Magha 4, Friday, Saka 1941–January 24, 2020

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2020

एस.ओ.166 :–भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 162 (ई) दिनांक 10.03.1993 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती है :–

<u>निर्देश</u>

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जयपुर शहर में चालक सहित आठ सीटर चार पहिया मंजिली वाहनों की संख्या सीमित किये जाने की दृष्टि से चार पहिया मंजिली वाहनों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाए। अतः जयपुर शहर में अनन्य रूप से नगरीय क्षेत्र में संचालित होने वाले चालक सहित आठ सीटर चार पहिया मंजिली वाहनों की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत नहीं करेंगी और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए अनुज्ञा–पत्रों की अधिकतम संख्या का 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत क्रमशः आरक्षण अनिवार्य होगा।

<u>सारणी</u>

जयपुर शहरी क्षेत्र में चालक सहित आठ सीटर चार पहिया मंजिली वाहनों के लिये स्वीकृत मार्ग, पर अधिकतम वाहनों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र.सं.	मार्ग का नाम	चौपहिया वाहनो की अधिकतम संख्या
1	क्राउन प्लाजा सीतापुरा पुलिया से के.के मेमोरियल आईटीआई स्कूल गोनेर	50

[संख्या एफ 9 (63) परि/आर.टी.ए./07/I/1670]

राज्यपाल के आदेश से

महेन्द्र कुमार खींची,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.